न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–25/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. उर्मिलादेवी स्त्री स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी रूपू का बास, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

.....प्रतिवादी/ अपीलांट

बनाम

1. कमलादेवी स्त्री नाथूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी रूपू का बास, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... वादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री के.के. शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–11.01.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी के निर्णय दिनांक 12.03.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट व आदेश 39 नियम 1–2 व दफा 151 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम रूपूका बास तहसील थानागाजी में मुताबिक मौका राजस्व रेकार्ड हाल आराजी ख0 नं0 336/144 रकबा 0.3100 है0 चाही उत्तम बरूये खाता सं0 20 स्थित चली आ रही है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी सालिम की वादीनी/प्रार्थीनी काबिज काश्तकार खातेदार चली आती है । मौके पर विवादित आराजी पर वादीनी/प्रार्थीनी काबिज है और काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है । विवादित आराजी से प्रतिवादी या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध कब्जा, हक, हिस्सा किसी किस्म का नही है । यह

11.1.19

आराजी वादीनी/प्रार्थीनी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदार की है । मौके पर विवादित आराजी सालिम पर वादीनी/प्रार्थीनी काबिज है और काबिज रह कर काश्त करती चली आ रही है । प्रतिवादी/अप्रार्थी बड़ी ही लड़ाकू व मुठमर्द महिला है जो जबरन लठ के बल पर विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर वादीनी को बेदखल करना चाहती है जिसका कि उसे कोई हक व अधिकार नहीं है । प्रतिवादी ने मौके पर आकर विवादित आराजी पर कार्य काश्त में बाधा डाली एवं बेदखल करने की कोशिश की तथा विवादित आराजी की शक्ल मौका बदलने पर आमादा है । इसलिए प्रतिवादी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ की । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिनके द्धारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 12.03.2018 को वादी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दि0 12.03.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि तहत न्यायालय में एक दावा सीलादेवी बनाम मिश्रो के नाम से चला था जिसमें डिक्री बंटवारे की हुई थी । कुरे पक्षकरों की सहमति से बने थे । विवादित विवाद रूपू के बास की आराजी का है । विवाद ख0 नं0 141/1/0.1600 उर्मिला के खसरा नम्बर का है । ख0 नं0 141/1/0.1600 के हाल ख0 नं0 366/144/0.3100 वाके रूपू का बास में मिला दिया जबकि उपखण्ड अधिकारी की डिक्री में यह नम्बर 141/1 अपीलांट के हिस्से में आया था । प्रार्थिया गरीब विधवा औरत है जिसका फायदा उठाकर कैलाश ने कमलादेवी को मेरे हिस्से की जमीन बेच दी ।

बहस में आगे कहा कि कुरे बने उसमें पक्षकारों के हस्ताक्षर व अंगूठे हैं तथा आपसी सहमति से कुरे बने थे । कुरे के आधार पर तहत न्यायालय ने दावा ललीता देवी बनाम मिश्रो वगैरा को दि0 16.09.2011 को डिक्री किया था जिसमें ख0 नं0 141/1/0.1600 को अपीलाट के पक्ष में डिक्री किया था । इन्तकाल नं0 33 दि0 28.12.2010 को दर्ज किया जिसमें ख0 नं0 141/1 को कैलाश पुत्र बाबूलाल के नाम दर्ज कर दिया । कैलाश ने अपने नाम होने का फायदा उठाकर जर्ये बयनामा कमलादेवी को कुरे बनने से पहले बेच दिया । जो बयनामा कैलाश ने कमलादेवी के खिलाफ कर रखा है उसे खारिज कराने का दावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर की अदालत में कर रखा है जो अभी विचाराधीन है । दावा पेण्डिंग रहते अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म नहीं करनी चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जवाब के तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं किया तथा अपीलांट की बहस भी नहीं लिखी है ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

11.1.19

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब बहस में कहा कि तहत न्यायालय में दावा 188 आर.टी.एक्ट का था । तहत न्यायालय ने यदि स्थगन जारी कर दिया तो क्या गलत कर दिया । तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों को दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया है । इसलिए यह अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है । सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है । अपीलांट ने टी.आई. कन्फर्म को गलत बताया है । अपीलांट का कोई हित नहीं है । बार–बार बहस पर लिखित बहस पेश की है । बिना दस्तावेज के टी.आई. चल नहीं सकती है । तहत न्यायालय में मुकदमा निस्तारित हो चुका है परन्तु रेकार्ड में नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश उचित है और अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2018 का अवलोकन किया ।

प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि विवादित आराजी रेकार्ड में अभी वादी/रेस्पो0 के नाम से जरिये खरीद की है तथा अपना ही कब्जा काश्त बता रहे हैं । साथ ही दावा धारा 188 आर.टी.एक्ट में होने से 212 के प्रार्थना पत्र को खातेदार के पक्ष में निर्णित करने को सही बताया है और अपील अपीलांट खारिज करने की इस्तदुआ की है ।

अपीलांट/प्रतिवादी का कथन है कि विवादित आराजी का पहले न्यायालय से निर्णय हो चुका है तथा विभाजन के प्रकरण में सहमति से जो कुरे रिपोर्ट तैयार की थी वो अपीलांट के पक्ष में है तथा उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है, परन्तु रेस्पो0/वादीया कमलादेवी ने उक्त हिस्से की आराजी को अंतिम आदेश से पहले ही अन्य को बेचान कर दिया । अतः इस बिनाय पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय तहत न्यायालय ने गलत जारी किया है जो काबिल निरस्ती के है । अपीलांट विवादित आराजी पर उक्त आधार पर अपना कब्जा काश्त बता रहे हैं । ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना कानून सम्मत है । चूंकि मूल विषय मूलवाद के निर्णय में तय होना है तो ऐसी स्थिति में कब्जे का बिन्दु विवादित है । अतः मौके पर रेकार्ड व कब्जे की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दि0 12.03.2018 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थित मूलवाद तक बनाये रखें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.1.19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर